न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीपलू जिला टोंक (राज0)

पीठासीन अधिकारी गणराज बडगोती (आर.ए.एस.) द्वारा अध्यासित

दावा संख्या–124/2021
वाद प्रविष्टि दिनांक–06.10.2021
निर्णय दिनांक–18.11.2025

जमना पत्नि रामकिशन जाति गुर्जर निवासी ग्राम सीसोला तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)

वादीया

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र भंवरलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम सीसोला तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
2. गंगा पत्नि भंवरलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम सीसोला तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
3. देवालाल पुत्र भंवरलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम सीसोला तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
4. धनराज पुत्र भंवरलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम सीसोला तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
5. रामेश्वर पुत्र भंवरलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम सीसोला तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
6. सायर पुत्री भंवरलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम सीसोला तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
7. सीता पुत्री भंवरलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम सीसोला तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
8. तहसीलदार तहसील पीपलू
9. उपपंजीयक पीपलू
10. सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया शाखा पीपलू जरिये शाखा प्रबन्धक

प्रतिवादीगण

अधिवक्ता वादी–श्री राजाराम चौधरी एड0
अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 01 व 07–अनुपस्थित

दावा बाबत् तकासमा आराजीयात तथा स्थायी निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 53, 188, 92 ए रा.टि.एक्ट 1955

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with OKEN Scanner

निर्णय

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण में संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि भूमि आराजी ख0न0 638 रकबा 0.7334 वाके ग्राम सीसोला पटवार हल्का सीसोला तह0 पीपलू जिला टोंक में स्थित है। जिसमें वादीया का 1/2 हिस्सा तथा शेष हिस्सा अन्य प्रतिवादीगण का है। उपरोक्त वर्णित भूमियों में जमाबंदी में संयुक्त रूप से खातेदारी में दर्ज है। पक्षकारान् ने उक्त भूमि का मौके पर अपने हिस्से के अनुसार विभाजन कर रखा है तथा काश्त करते चले आ रहे है। उक्त भूमि का विभाजन जमाबंदी में दर्ज हिस्से तथा मौके पर कब्जे काश्त के अनुसार करवाया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है। वादी उक्त भूमियों का विभाजन करने के लिए कई बार प्रतिवादीगण से कहा तो प्रतिवादीगण ने कोई सुनवाई नही की, वादी अपने हिस्से को पृथक करवाकर पृथक से जमाबंदी व रिकॉर्ड तैयार करवाकर भूमि पर काबिज रहकर काश्त व उपयोग उपभोग करने का हकदार है। अतः डिक्री वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण बाबत् तकास्मा आराजीयात पारित फरमायी जाकर उक्त वर्णित आराजीयात ख0न0 638 रकबा 0.7334 वाके ग्राम सीसोला पटवार हल्का नाथडी में वादीया व प्रतिवादी संख्या 01 ता 07 के मध्य रिकॉर्ड में दर्ज हिस्से तथा मौके पर कब्जे काश्त अनुसार विभाजन करवाया जावे।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर की जाकर तलबी प्रतिवादीगण की गई। प्रतिवादी संख्या 01 ता 07 बावजूद तामिल अनुपस्थित रहने के कारण उसके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही में अमल में लायी जा चुकी है।

अधिवक्ता वादीया ने बहस का निवेदन किया। अधिवक्ता वादीया ने अपनी बहस में बताया की भूमि आराजी ख0न0 638 रकबा 0.7334 वाके ग्राम सीसोला पटवार हल्का सीसोला तह0 पीपलू जिला टोंक में स्थित है। जिसमें वादीया का 1/2 हिस्सा तथा शेष हिस्सा अन्य प्रतिवादीगण का है। उपरोक्त वर्णित भूमियों में जमाबंदी में संयुक्त रूप से खातेदारी में दर्ज है। पक्षकारान् ने उक्त भूमि का मौके पर अपने हिस्से के अनुसार विभाजन कर रखा है तथा काश्त करते चले आ रहे है। उक्त भूमि का विभाजन जमाबंदी में दर्ज हिस्से तथा मौके पर कब्जे काश्त के अनुसार करवाया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है। वादी उक्त भूमियों का विभाजन करने के लिए कई बार प्रतिवादीगण से कहा तो प्रतिवादीगण ने कोई सुनवाई नही की, वादी अपने हिस्से को पृथक करवाकर पृथक से जमाबंदी व रिकॉर्ड तैयार करवाकर भूमि पर काबिज रहकर काश्त व उपयोग उपभोग करने का हकदार है। अतः डिक्री वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण बाबत् तकास्मा आराजीयात पारित फरमायी जाकर उक्त वर्णित आराजीयात ख0न0 638 रकबा 0.7334 वाके ग्राम सीसोला पटवार हल्का सीसोला में वादीया व प्रतिवादी संख्या 01 ता 07 के मध्य रिकॉर्ड में दर्ज हिस्से तथा मौके पर कब्जे काश्त

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

अनुसार विभाजन करवाया जावे। अतः डिक्री वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण बाबत तकास्मा आराजीयात पारित फरमायी जाकर उक्त वर्णित आराजीयात की प्राथमिक डिक्री जारी की जावे।

बहस अधिवक्ता वादीया सुनी गई तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात् का अवलोकन किया। भूमि आराजी ख0न0 638 रकबा 0.7334 वाके ग्राम सीसोला पटवार हल्का सीसोला में स्थित है। उक्त वर्णित आराजीयात पक्षकारान् की संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। उपरोक्त आराजीयात में वादीया का 1/2 हिस्सा व शेष हिस्सा प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 07 का है। अधिवक्ता वादीया ने राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हक हिस्से व कब्जे को दृष्टिगत रखते हुए वाद वादी प्राथमिक डिक्री किये जाने का निवेदन किया। राजस्व रिकॉर्ड में सहखातेदार की हैसियत रखने के आधार पर उभयपक्ष अपनी खातेदारी भूमि के विभाजन के हकदार है। अतः उक्त वर्णित आराजीयात का वादीया व प्रतिवादी संख्या 01 व 07 के बीच दावा प्राथमिक डिक्री किया जाता है एवं तहसीलदार पीपलू को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 18 से 21 में वर्णित प्रावधानों की पालना करते हुए मौके पर कब्जे व राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हक हिस्से को दृष्टिगत रखते हुए विभाजन प्रस्ताव तैयार करने का आदेश दिया जाकर तहसीलदार पीपलू उक्तानुसार उभयपक्ष पक्षकारान् की उपस्थिति में नक्शा ट्रेस के दो–दो प्रतियों में मय तकास्मा रिपोर्ट तैयार की जाकर आगामी दिनांक 10.07.2024 से पूर्व आवश्यक रूप से भिजवाने हेतु लिखा गया था। जिसकी पालना में तहसीलदार पीपलू के पत्रांक 3492 दिनांक 19.09.2025 द्वारा न्यायालय हाजा में तकासमा रिपोर्ट/प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

अधिवक्ता वादी ने तकास्मा रिपोर्ट पर बहस का निवेदन किया। बहस वादी सुनी गई। अधिवक्ता वादी ने प्रस्तुत तकास्मा रिपोर्ट से सहमत होते हुए प्रस्तुत तकास्मा रिपोर्ट के आधार पर वाद वादी अन्तिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया एवं मुताबिक तकासमा रिपोर्ट अनुसार वाद वादी अन्तिम डिक्री किये जाने में अपनी सहमति जाहिर की। प्रतिवादीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गई है। बहस अधिवक्ता वादी सुनी गई तथा तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत तकासमा रिपोर्ट/प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। तकासमा रिपोर्ट से स्पष्ट है की तहसीलदार पीपलू द्वारा राजस्थान काश्तकार अधिनियम की धारा 18 से 21 में वर्णित प्रावधानो की पालना करते हुए उभयपक्ष पक्षकारान् को सूचित करते हुए प्रस्ताव तैयार किया गया है। प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस सूचित किया गया है, उक्त नोटिस की प्रति संलग्न है एवं तकासमा रिपोर्ट पर गवाहन के हस्ताक्षर अंकित है। अतः मुताबिक तकास्मा रिपोर्ट अनुसार यह आदेश दिया जाता है कि वाके ग्राम सीसोला, पटवार हल्का नाथडी ख0न0 688/1 रकबा 0.3667 हैक्ट. वादी जमना देवी पत्नि रामकिशन जाति गुर्जर हिंस्सा पूर्ण सा.देह खातेदार के नाम दर्ज रिकॉर्ड रहेगा। भूमि आराजी ख0न0 638/2 रकबा 0.3667 ओमप्रकाश, देवलाल, धनराज, रामेश्वर पुत्र भंवरलाल, सायर, सीता पुत्रीयां भंवरलाल बहिस्सा बराबर राहिन सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा पीपलू जाति गुर्जर सा.देह खातेदार के नाम संयुक्त रूप से दर्ज रिकॉर्ड रहेगा। तहसीलदार

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with OKEN Scanner

पीपलू तकास्मा रिपोर्ट अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 07 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे एवं नक्शा शीट तकास्मा रिपोर्ट अनुसार तरमीम करे। तहसीलदार पीपलू से प्राप्त तकासमा रिपोर्ट निर्णय का अभिन्न हिस्सा रहेगी। बैंक प्रभार यथावत रहेगा। डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक 18.11.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

(गजराज [illegible] आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी पीपलू
जिला टोंक (राज0)

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री मुकददमा इब्तदाई

(ऑर्डर 20 रूल्स 6 व 7 जाप्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी पीपलू जिला टोंक (राज0)

ब अलजास गणराज बडगोती आर0ए0एस0

जमना पत्नि रामकिशन जाति गुर्जर निवासी ग्राम सीसोला तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)

वादीया

बनाम

ओमप्रकाश पुत्र भंवरलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम सीसोला तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)

(कुल कस 10) प्रतिवादीगण

मुकदमा न0 124/2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू. मुझ गणराज बडगोती उपखण्ड अधिकारी पीपलू हाजिरी श्री राजाराम चौधरी एड0 मिनजानिब मुद्दई रूबरू प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 07 अनुपस्थित मनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाकर डिक्री दी जाती है कि ग्राम सीसोला, पटवार हल्का नाथडी ख0न0 688/1 रकबा 0.3667 हैक्ट. वादी जमना देवी पत्नि रामकिशन जाति गुर्जर हिस्सा पूर्ण सा.देह खातेदार के नाम दर्ज रिकॉर्ड रहेगा। भूमि आराजी ख0न0 638/2 रकबा 0.3667 ओमप्रकाश, देवलाल, धनराज, रामेश्वर पुत्र भंवरलाल, सायर, सीता पुत्रीयां भंवरलाल बहिस्सा बराबर राहिन सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा पीपलू जाति गुर्जर सा.देह खातेदार के नाम संयुक्त रूप से दर्ज रिकॉर्ड रहेगा। तहसीलदार पीपलू तकास्मा रिपोर्ट अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 07 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे एवं नक्शा शीट तकास्मा रिपोर्ट अनुसार तरमीम करे। तहसीलदार पीपलू से प्राप्त तकासमा रिपोर्ट निर्णय का अभिन्न हिस्सा रहेगी। बैंक प्रभार यथावत रहेगा।

निजी.................................मबलिक.. बाबत...............................खर्चा इस मुकददमें का मय सूद वगैरह.......................................फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक..को अदा करे।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 18.11.2025 को जारी की गई।

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

दस्तखत उप खण्ड अधिकारी

मोहर

ओहदा पीपलू (टोंक)

मुददई	रूपये	पैसे	मददायलाह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	50	00	स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प बकालतनामा			स्टाम्प बकालतनामा		
स्टाम्प बजह सबूत			स्टाम्प बजह सबूत		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराय हुक्मनामा			बाबत इजराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोटः— इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दो फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिखाया हो या नही दर्ज करना चाहिए।

Scanned with OKEN Scanner